

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र.....1137...../एफ-7-46/31/एस-2/2017,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक ०६/०३/२०१९

मुख्य अभियंता,  
महानदी गोदावरी कंचार,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

**विषय :-** गरियाबंद जिले के विकासखण्ड-फिंगेश्वर की पैरी परियोजना अन्तर्गत राजिम सब डिस्ट्रिक्टरी एवं उनके माईनर्स (नहर) का रिमाइलिंग एवं लाईनिंग तथा सर्विस रोड सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

**संदर्भ :-** प्र.अ. का पत्र क्र.-143/बो.प्र./प्रशास्त्री./2017/14583, रायपुर, दि. 21.09.2017.

राज्य शासन एतद द्वारा गरियाबंद जिले के विकासखण्ड-फिंगेश्वर की पैरी परियोजना अन्तर्गत राजिम सब डिस्ट्रिक्टरी एवं उनके माईनर्स (नहर) का रिमाइलिंग एवं लाईनिंग तथा सर्विस रोड सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु लागत राशि रु. 518.62 लाख (रूपये पांच करोड़ अट्ठारह लाख बासठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. रिमाइलिंग एवं लाईनिंग उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई 1047.06 हेक्टेयर खरीफ एवं 160 हेक्टेयर रबी, कुल 1207.06 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही 95 हेक्टेयर क्षेत्र में कमी की पूर्ति एवं 160 हेक्टेयर रबी सहित पूर्ण रूपांकित सिंचाई 1207.06 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, जल संसाधन विभाग, लेखा शीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, {06}-पैरी परियोजना {800} अन्य व्यय, (2884) नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), #26-वृहद निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 1807/ब-2/सी.एन.-31-02151, दिनांक 05.03.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में भितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( याकुब खस्स )  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
( जल संसाधन विभाग )

पृ.क्र....1138.../एफ-7-46/31/एस-2/2017,

अटल नगर, दिनांक ०६/०३/२०१९

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—गरियाबंद (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू—जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद, जिला—गरियाबंद (छ.ग.)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग